न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
73 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	09.11.2016	27.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री श्याम बाबू शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जमात निवाई जिला टोंक मैसर्स सर्वोदय डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक
2–मैसर्स सर्वोदय डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक
3–श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी 42, भांडो की गली, वार्ड नं. 10, चौमूं जिला जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स महेश फूड एण्ड इण्डस्ट्रीज बी–6, पुलिस थाने के पीछे, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा तह. चौमूं जिला जयपुर राज.
4–मैसर्स महेश फूड इण्डस्ट्रीज बी–6, पुलिस थाने के पीछे, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा तह. चौमूं जिला जयपुर राज.

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: दिनांक 27.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.07.2016 को समय 04:00 पीएम पर मैसर्स सर्वोदय डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री श्याम बाबू शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री श्याम बाबू शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में लगभग 40 मूल पैक **लाल मिर्च पावडर (सविता ब्राण्ड)** के पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500 ग्राम पैक के रखे हुए थे जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री श्याम बाबू शर्मा को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री श्याम बाबू शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **लाल मिर्च पावडर**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(सविता ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 223 एवं पैकिंग की दिनांक 06/2016 थी को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500 ग्राम पैक के चार मूल खरीद, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर (सविता ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 500 ग्राम पैक को एक-एक नग के बराबर-बराबर चार भाग तैयार कर, चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1400 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री श्याम बाबू शर्मा तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1400 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री श्याम बाबू शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल शर्मा मैसर्स सर्वोदय डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स महेश फूड इण्डस्ट्रीज बी-6, पुलिस थाने के पीछे, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा तह. चौमूं जिला जयपुर राज. का बिल पेश कर उपरोक्त **लाल मिर्च पावडर (सविता ब्राण्ड)** क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स महेश फूड इण्डस्ट्रीज बी-6, पुलिस थाने के पीछे, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा तह. चौमूं जिला जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, वैट रजि फार्म नं. 3 व प्रोपरायटर श्री राकेश कुमार शर्मा के लाईसेन्स की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/3635 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./411/एक्ट/2016/461 दिनांक 28.07.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर (सविता ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 दिनांक 23.02.2018 को अंतिम बार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु उसके बाद लगातार अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से दिनांक 08.06.2017 को श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा। परन्तु कई अवसर देने के बावजूद अभिभाषक द्वारा आदिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाल मिर्च पावडर (सविता ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर (सविता ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 40,000/–(अक्षरे चालीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,80,000/–(अक्षरे एक लाख अस्सी हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 27.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0